न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर।
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील सं.– 85/2025
जीसीएमएस सख्या – (2025/241)

अपीलांटः–

1. ओमाराम पुत्र स्व. राणाराम जाति गुरू मेघवाल निवासी मेघवालों का बास, डोली, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्टसः–

1. कोजाराम पुत्र बगताराम,
2. हीराराम पुत्र स्व. कुनाराम, उम्र 25 वर्ष
3. तुलछी पुत्री स्व. कुनाराम, उम्र 30 वर्ष
4. बिदामी पुत्री स्व. कुनाराम, उम्र 55 वर्ष

सभी जातियान गुरू मेघवाल, निवासी मेघवालों का बास, ग्राम नारनाडी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

5. उप तहसीलदार, झंवर, जिला जोधपुर।
6. तहसीलदार, लूणी, जिला जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामांतरकरण सं. 3244 दिनांक 03.03.2022, जो उप तहसीलदार, झंवर द्वारा स्वीकृत किया गया, को निरस्त करने बाबत।

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता श्री एस.एल. सांखला (अपीलांट की ओर से)
2. अधिवक्ता लाधुराम पुनिया (रेस्पोडेंट सं. 01, 02 व 04 की ओर से)
3. रेस्पोंडेंट सं. 03 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

आदेश **दिनांक 30.04.2025**

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अंतर्गत ग्राम नारनाडी, तहसील लूणी के नामांतरकरण में उप तहसीलदार, झंवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 07.09.2022 को पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:34:48 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

2. अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा तहसीलदार झंवर से अभिलेख तलब किया गया। प्रत्यर्थीगण सं. 1, 2, 4 की ओर से अधिवक्ता श्री लाधुराम पूनिया ने वकालतनामा पेश किया।

3. अपील मीमों अनुसार प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के पिता राणाराम की सहखातेदारी में ग्राम नारनाडी के ख.नं. 19 रकबा 9 बीघा की कृषि भूमि आई हुई थी, जिसमें राणाराम का 1/3 हिस्सा (3 बीघा) था, राणाराम के दो पुत्र अपीलांट ओमाराम व बंशीलाल के प्रत्येक के बंट में 1–10 बीघा हिस्सें में आई, जिस पर उनका कब्जा काश्त है। पटवारी से संपर्क करने पर दिनांक 26.08.2022 को जानकारी हुई कि अपीलांट व उसके भाई बंशीलाल का नाम हटाकर, भूमि प्रत्यर्थी सं. 01 से 04 तक के नाम दर्ज कर दी गई है, जिसमें नियमों की पालना नहीं की गई है। नामांतरकरण सं. 3244 दिनांक 03.03.2022, राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपनी मनमर्जी से बिना राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय को ध्यान में रखते हुए विधि विरूद्ध इन्द्राज किये है। राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी एल.आर./4766 दिनांक 21.08.2015 के निर्णय का सही ढंग से अध्ययन किये बिना ही अपीलाधीन नामांतरकरण स्वीकृत किया गया है। राजस्व मण्डल ने उक्त निर्णय से खसरा नं. 19 में कुनाराम व कोजाराम के पक्ष में खातेदारी देने का कोई आदेश नहीं किया था, फिर भी कोजाराम व कुनाराम के वारिसान के नाम अपीलांट की जगह दर्ज किया गया है। राजस्व मण्डल के आदेश को देखे बिना ही तहसीलदार ने आदेश दिनांक 09.02.2022 से कुनाराम व कोजाराम पुत्र बगताराम के पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 03.11.1992 के अनुरूप नामांतरकरण दर्ज करने का आदेश गलत दर्ज किया है। तहसीलदार यह आदेश पारित करने हेतु सक्षम नहीं है। मौके व कब्जे की जांच नहीं की गई है। अतः अपील स्वीकार कर नामांतरकरण सं. 3244 दिनांक 03.03.2022 ग्राम नारनाडी को खारिज किया जावे।

प्रार्थना पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सुंटाराम पुत्र कानाराम ने पेश किया। बंशीलाल व ओमाराम द्वारा सुंटाराम को अपना आम मुख्त्यार नियुक्त कर रखा है। बंशीलाल व ओमाराम के नाम भूमि, राणाराम की मृत्यु के बाद म्यूटेशन सं. 2002 से दर्ज हुई है।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.एल. [illegible] ने अपील मीमों में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया कि नामांतरकरण सं. 3244 बिना किसी सक्षम

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:34:48 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध स्वीकृत किया गया है। नामांतरकरण की परत पर सिर्फ भीखीदेवी व कुनाराम के फौत होने पर ही नामांतरकरण खोलने का कारण बताया है। परंतु अपीलांट का नाम बिना किसी आदेश के हटाया गया है। किस आधार पर नए इन्द्राज किये गये है? किसी भी सक्षम न्यायालय प्राधिकारी का आदेश है? अगर है, तो नामांतरकरण पर उसका उल्लेख करना चाहिए। अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश अपास्त किया जावे।

6. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की उक्त बहस के विरूद्ध प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनियां ने फॉर्म सं. 3 में नामांतरकरण सं. 453, 502, 3244 व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी/एल.आर./4766/2011/जोधपुर में पारित निर्णय दिनांक 21.08.2015 की फोटोप्रति पेश की, जिसमें अंकित विनिश्चिय का विवरण उक्त पैरा सं 17 में विस्तृत रूप से अंकित किया जा चुका है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन नामांतरकरण न्यायालय तहसीलदार, लूणी के मु.नं. 03/2017 में पारित निर्णय की पालना में दायर कर स्वीकृत किया गया है। जब तक उक्त आदेश अपास्त नहीं हो तो तब तक अपीलाधीन नामांतरकरण पर पारित निर्णय को अपास्त नहीं किया जा सकता। अतः प्रस्तुत अपील बेबुनियाद व सारहीन होने से अस्वीकार की जावे।

7. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, दौराने बहस उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत कथनों व तर्कों पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अध्ययन कर भली भांति अवलोकन किया। हमारा विनिश्चय इस प्रकार हैः–

a)अपील के साथ अपीलांट ने अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों एवं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है तथा अपील को अंदर म्याद पेश होना शुमार किया जाता है।

b)अपीलांट द्वारा अपील के साथ अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 3244 की प्रति प्रस्तुत की है। जिसमें सुंटाराम, प्रह्लादराम, मान[illegible] देवी, मथुरा देवी, मांगीदेवी के भी नाम है तथा ये सह [illegible] है, परंतु उन्हे आवश्यक पक्षकार ही नहीं बनाया गया। [illegible] अपील सिर्फ ओमाराम ने पेश की है परंतु स्थगन प्रार्थना पत्र के समर्थन में [illegible] पुत्र सुंटाराम पुत्र कानाराम ने पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:34:48 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

किया है, जबकि वह अपीलांट ही नहीं है। अतः अपील आवश्यक पक्षकारों को संयोजित नहीं करने के आधार पर भी खारिज योग्य है।

c) प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार खसरा नं. 19 रकबा 09 बीघा भूमि मानाराम, राणाराम पुत्र धनाराम की खातेदारी में दर्ज थी, जो उन्होने बेचान दस्तावेज दिनांक 15.09.1989 से श्री छगनाराम पुत्र मोडाराम को हस्तांतरित करने पर नामांतरकरण सं. 453 से छगनाराम के नाम दर्ज हुई है।

छगनाराम उक्त भूमि खसरा नं. 19 रकबा 09 बीघा बेचान दस्तावेज दिनांक 03.11.1992 से कोजाराम, कुनाराम पिता बगताराम को हस्तांतरित की थी। जिसका नामांतरकरण सं. 502 दिनांक 15.10.1992 से अमलदरामद हुआ। प्रत्यर्थी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा निगरानी/एल.आर./4766/2011/जोधपुर समसंख्यक–4767/2011/जोधपुर एवं 229/2014/जोधपुर में पारित निर्णय दिनांक 21.08.2015 में पारित सामूहिक निर्णय की प्रति पेश की है जिसके अवलोकन से उजागर होता है कि इस ख.नं. 19 की भूमि का इतिहास रोचक रहा है। मूल रूप से ख.नं. 19 रकबा 09 बीघा भूमि मानाराम, राणाराम व खरताराम के पिता धनाराम के नाम खातेदारी में दर्ज थी। खरताराम की फौत हो गई तथा वारिसान के रूप में पत्नी भीकी देवी, पुत्रियां पपली, मथुरा एवं मांगी देवी जीवित थी परंतु षडयंत्रपूर्वक खरताराम को लाऔलाद व वारिस न बताकर खसरा नं. 19 की पूरी भूमि नामांतरकरण सं. 448 से सह खातेदार सगे भाई मानाराम व राणाराम के नाम दिनांक 02.10.1989 को दर्ज करवा दी तथा पटवारी ने रिपोर्ट लिखी कि खरताराम के कोई जीवित संतान नहीं है तथा पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। नामांतरकरण सं. 448 दिनांक 02.10.1989 तहसीलदार, जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर खरताराम के विधिक वारिसान ने अतिरिक्त कलक्टर, जोधपुर के न्यायालय में अपील पेश की, जो आदेश दिनांक 09.02.2007 को स्वीकार की जाकर नामांतरकरण सं. 448 दिनांक 02.10.1989 को अपास्त किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार लूणी को खरताराम के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान की जांच कर नये सिरे से नामांतरकरण की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

अतिरिक्त कलक्टर, जोधपुर के उक्त आदेश दिनांक 09.02.2007 से अप्रसन्न होकर मानाराम ने न्यायालय अति. संभाग आयुक्त, जोधपुर में अपील पेश की, जो निर्णय दिनांक 05.07.2011 से अस्वीकार की, जिससे व्यथित होकर मानाराम ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:34:48 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

राजस्व मण्डल में निगरानी सं. एल.आर./4766/2011/जोधपुर, एल.आर./4767/2011/जोधपुर पेश की।

इसी दौरान उपरोक्तानुसार नामांतरकरण सं. 453 दिनांक 10.04.1990 से मानाराम, राणाराम के केता छगनाराम के केता कुनाराम, कोजाराम पुत्र बगताराम ने भी निगरानी सं. 229/2014 मण्डल में पेश की, जिसका आधार नामांतरकरण सं. 502 के जरिये दिनांक 03.11.1992 के बेचान दस्तावेज से भूमि छगनाराम से क्रय करना था। माननीय राजस्व मण्डल ने उक्त तीनों निगरानियां का निर्णय एक साथ पारित करते हुए अवधारित किया कि खरताराम को लाऔलाद बताकर तथा उसकी पत्नी को मृत बताकर नामांतरकरण सं. 448 से पूरी भूमि मानाराम व राणाराम ने अपने नाम दर्ज कराने के बाद रजिस्ट्री दिनांक 15.09.1989 का केता छगनाराम था, जिसका नामांतरकरण सं. 453 दिनांक 10.04.1990 स्वीकृत हुआ तथा छगनाराम दिनांक 03.11.1992 से पुनः भूमि का बेचान कुनाराम, कोजाराम पुत्र बगताराम के पक्ष में किया है। अतः कुनाराम व कोजाराम हितबद्ध व्यक्ति है, जिसका नामांतरकरण सं. 502 दिनांक 15.10.1992 है तथा मानाराम व राणाराम अपने हिस्से तक की भूमि तो बेच सकते थे परंतु मृतक खरताराम के हिस्से की भूमि बेचने हेतु अधिकृत नहीं थे।

नामांतरकरण सं. 448 में कुल भूमि 30–15 बीघा अंकित है। अतः मानाराम, राणाराम 1/3 +1/3=2/3 हिस्सा भूमि बेच सकते थे। अतः बेचान दस्तावेज दिनांक 15.09.1989 व 03.11.1992 मानाराम व राणाराम के हिस्से तक ही वैद्य है। मृतक खरताराम के हिस्से का बेचान अविधिक व प्रभाव शून्य है। अतः केता कुनाराम व कोजाराम को मानाराम व राणाराम के हिस्से तक ही अनुतोष दिया जाना न्यायोचित है। निगरानी सं. 4767/2011 व 4766/2011 को सारहीन मानते हुए खारिज कर दिया अर्थात खरताराम के वारिसान के पक्ष में निर्णय हुआ तथा अतिरिक्त कलक्टर, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.02.2007, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर का निर्णय दिनांक 05.07.2011 की पुष्टि की तथा निगरानी सं. 229/2014 को आंशिक रूप से स्वीकार कर अति. कलक्टर (प्रथम), जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.02.2007 की निरंतरता में आदेश दिया कि विवादित भूमि के विषय में तहसीलदार [illegible] खरताराम पुत्र धनाराम के विधिक वारिसान की जांच के साथ-साथ केता कुनाराम व कोजाराम को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, विक्रय की गई भूमि [illegible] के पैरा सं. 17 में किये गये विवेचन

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:34:48 IST
Reason: Self Attested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

व प्रेक्षण अनुसार मानाराम व राणाराम के विधिक हिस्से तक नामांतरकरण केता कुनाराम व कोजाराम के पक्ष में भी नामांतरकरण की विधिक कार्यवाही निष्पादित करे।

d)(i) नामांतरकरण सं. 453 अनुसार मानाराम, राणाराम व खरताराम के नाम ख.नं. 19, 18 व 32 की कुल 30–15 बीघा दर्ज थी, जिसमें सिर्फ ख.नं. 19 की भूमि मानाराम व राणाराम ने छगनाराम को बेची तथा छगनाराम ने भी ख.नं. 19 की भूमि कुनाराम व कोजाराम को बेची है।

(ii)जमाबंदी संवत् 2077–2080 के खाता सं. 15 अनुसार ख.नं. 19 की भूमि से संबंधित इन्द्राज इस प्रकार है– (1.4569 हैक्टर)

मानाराम पुत्र धनाराम –1/3 हिस्सा
ओमाराम पुत्र राणाराम पुत्र धनाराम–1/6 हिस्सा
बंशीलाल पुत्र राणाराम पुत्र धनाराम– 1/6 हिस्सा
भीकी देवी पत्नी खरताराम– 1/12 हिस्सा
मांगीदेवी पुत्री खरताराम–1/12 हिस्सा
पपलीदेवी पुत्री खरताराम–1/12 हिस्सा
मथुरादेवी पुत्री खरताराम–1/12 हिस्सा
क्षेत्रफल– 1.4569 हैक्टर

(iii)खसरा नं. 18 व 32 के इन्द्राज इस प्रकार हैः–

सुंटाराम पुत्र केनाराम–1/3 हिस्सा
प्रहलाद पुत्र नोहराराम–1/3 हिस्सा
माना पुत्र धना–1/3 हिस्सा
क्षेत्रफल– 3.5208 हैक्टर

(ii)+(iii) का योग– 4.9777 हैक्टर

(iv)अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 3244 दिनांक 28.02.2022 से उक्त तीन ख.नं. 19, 18 व 32 के इन्द्राज इस प्रकार किये हैः–

सुंटाराम पुत्र केनाराम–11736/49777 हिस्सा
प्रहलाद पुत्र नोह[illegible]1736/49[illegible] हिस्सा
माना पुत्र धना–6883/49777 हि[illegible]
पपली देवी पुत्री खरताराम–1618/49[illegible] हिस्सा
मथुरा देवी पुत्री खरताराम–1618/4[illegible] हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:34:48 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

मांगी देवी पुत्री खरताराम– 1618/49777 हिस्सा

कोजाराम पुत्र बगताराम–7284/49777 हिस्सा

हीराराम पुत्र कुनाराम– 2428/49777 हिस्सा

तुलछी पुत्री कुनाराम– 2428/49777 हिस्सा

बिदामी पत्नी कुनाराम– 2428/49777 हिस्सा

कुल क्षेत्रफल– 4.9777 हैक्टर

e) उक्त नामांतरकरण सं. 3244 पर न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) लूणी के प्रकरण सं. 03/2017 निर्णय दिनांक 09.02.2022 एवं तहसीलदार लूणी के आदेश क्रमांक भू.अ./2022/941 दिनांक 16.02.2022 की पालना में कुनाराम व भीखी देवी के फौत होने से उनके विधिक वारिसान के नाम तथा माननीय न्यायालय के आदेशानुसार दर्ज किया, अंकित है।

f) (i)ख.नं. 19, 18 व 32 का कुल भूमि 10–15 बीघा (4.9777 हैक्टर) है, जो राणाराम, मानाराम व खरताराम में बहिस्सा बराबर बांटने पर प्रत्येक को 10 बीघा–05 बिस्वा (1.6592 हैक्टर) बंट में आती है। वर्तमान नामांतरकरण से खरताराम के वारिसान– पपली, मथुरा, मांगीदेवी को 4.9777 हैक्टर में प्रत्येक का 1618/49777 वां हिस्सा (अर्थात प्रत्येक को 0.1618 हैक्टर अर्थात कुल 0.4854 हैक्टर दर्ज है) 1.1736 हैक्टर भूमि कम है। प्रहलाद के नाम 1.1736 हैक्टर है।

(ii)मानाराम व राणाराम ने ख.नं. 19 की 9 बीघा (1.4569 हैक्टर) भूमि छगनाराम को को तथा छगनाराम ने आगे कुनाराम व कोजाराम को जरिये बेचान हस्तांतरित की, जबकि मानाराम के हिस्से में कुल 1.6592 हैक्टर भूमि आती है। उसमें से 1.4569 हैक्टर की (9 बीघा) आधी अर्थात् 0.72845 घटाने पर शेष 0.93075 हैक्टर भूमि रहनी चाहिए परंतु वर्तमान में 0.6882 हैक्टर ही दर्ज है अर्थात् 0.24255 हैक्टर कम दर्ज है।

(iii)इसी प्रकार राणाराम के नाम भी 1.6592 हैक्टर भूमि हिस्से में आती है। उसमें से 0.72845 हैक्टर भूमि छगनाराम, कुनाराम व कोजाराम को हस्तांतरित हो जाने से शेष 0.93075 हैक्टर भूमि शेष रहनी चाहिए जो राणाराम के वारिसान के नाम वर्तमान में दर्ज नहीं है। इस प्रकार मानाराम की 0.24255 हैक्टर तथा राणाराम की 0.93075 हैक्टर भूमि अर्थात कुल 1.1736 हैक्टर कम दर्ज हुई है, परंतु सुंटाराम पुत्र केनाराम के नाम 1.1736 हैक्टर दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:34:48 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(iv)इस प्रकार मूल तीनों खसरों का रकबा 30–15 बीघा (4.9777 हैक्टर) पुरा हो जाता है।

g) अपीलांट ने उक्त अभिलेखीय स्थिति को छुपाते हुए सिर्फ ख.नं. 19 रकबा 9 बीघा भूमि में 1/3 हिस्सा अर्थात 3 बीघा का क्लेम पेश किया है तथा राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी सं. एल.आर./2011/जोधपुर में पारित निर्णय दिनांक 21.08.2015 की गलत व्याख्या करने का कथन किया है। माननीय राजस्व मण्डल का निर्णय बिल्कुल स्पष्ट है। अपीलांट के पिता राणाराम व मानाराम ने खसरा नं. 19 की पूरी 9 बीघा भूमि दिनांक 15.09.1989 को छगनाराम को बेचान की तथा छगनाराम ने दिनांक 03.11.1992 को आगे 9 बीघा भूमि कुनाराम व कोजाराम को बेचान की जबकि राणाराम व मानाराम को 2/3 हिस्से से अधिक अर्थात 6 बीघा से अधिक ख.नं. 19 में से बेचने का अधिकार ही नहीं था तथा सगे भाई खरताराम की पत्नी की मृत्यु बताकर तथा लाऔलाद बताकर गलत नामांतरकरण सं. 448 अपने नाम दर्ज कराया तथा उसका नाजायज फायदा उठाया। बिना विभाजन कराये ख.नं. 19 में से भी 6 बीघा नहीं बेच सकते थे। परंतु राजस्व मण्डल ने न्यायहित में केता कुनाराम व कोजाराम को सभी ख.नं. 19, 18 व 32 में से 9 बीघा भूमि देने का आदेश पारित किया तथा तहसीलदार लूणी को खरताराम के वारिसान की जांच करने तथा केताओं के हक में निर्देशानुसार रिकॉर्ड में अमलदरामद करने के निर्देश दिये, जिसकी पालना में ही तहसीलदार ने आदेश पारित किया तथा उसकी पालना में नामांतरकरण सं. 3244 दिनांक 28.02.2022 को दर्ज किया।

[illegible] अगर अपीलांट तहसीलदार द्वारा प्रकरण सं. 03/2017 में पारित निर्णय दिनांक 09.02.2022 से व्यथित था तो उसे नियमानुसार सक्षम न्यायालय में अंदर म्याद अपील पेश करनी चाहिए थी। अपीलांट ने तहसीलदार के उक्त आदेश व राजस्व मण्डल का आदेश भी पेश नहीं किया। राजस्थान भू राजस्व (भू.अ.) नियम 1957 के नियम 119 से 148 तक में विभिन्न आधारों पर नामांतरकरण दर्ज कर रिकॉर्ड को आदिनांक पूर्ण रखने की प्रकिया दी गई है, जिसमें न्यायालय के आदेश से अमलदरामद करने का भी प्रावधान है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि नामांतरकरण की कार्यवाही मात्र सरसरी फिस्कल प्रोसिडिंग है। नामांतरकरण के जरिये किसी प्रकार के अधिकार, हित, स्व[illegible]त्य के अधिकारों को निर्धारण, सृजन नहीं होता है। [illegible]लदार, लूणी के आदेश दिनांक 09.02.2022 की पालना में खोला [illegible] है तथा खातेदार भीखी देवी व कुनाराम की फौत होने पर उनके कानूनी [illegible] के नाम भी नामांतरकरण दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:34:48 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

किया है। न्यायालय के प्रकरण व पारित आदेश का स्पष्ट रूप से नामांतरकरण पर अंकन किया हुआ है। अतः अपीलांट का यह कथन गलत है कि नामांतरकरण बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेश से दर्ज किया है तथा न्यायालय के आदेश का उल्लेख भी नहीं है। तहसीलदार, लूणी को निगरानी में प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है। अतः तहसीलदार लूणी द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकारिता से परे नहीं है। राजस्व मण्डल का आदेश अंतिम हो चुका है। जब तक तहसीलदार, लूणी के न्यायालय द्वारा प्रकरण सं. 03/2017 में पारित निर्णय दिनांक 09.02.2022 को सक्षम अपीलांट न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं किया जाता है तब तक अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 3244 दिनांक 28.02.2022 को खारिज नहीं किया जा सकता। अपीलांट राजस्व मण्डल के निर्णय को इस अपील में गलत नहीं कह सकता।

8. उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन व बलहीन है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य होने से अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति के साथ तहसीलदार झंवर को मूल रिकॉर्ड लौटाया जावे।

10. प्रकरण में लंबित स्थगन प्रार्थना पत्र सहित लंबित अन्य (यदि कोई हो तो) को निरस्त किये जाते है।

11. पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

यह निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:34:43 IST
Reason: SelfAttested